BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 70 OF 2026

IN THE MATTER OF:

ASHISH SINGH ......APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ......RESPONDENTS

INDEX

SLNo.	PARTICULARS	PAGES
1.	Reply On Behalf of Respondent Uttar Pradesh Pollution Control Board	1-4
2.	**ANNEXURE-1** A copy of inspection report dated 25.02.2026	5-7
3.	**ANNEXURE-2** A **the inspection of the site was done on 08.05.2026**	8-9
4.	**ANNEXURE-3** Location of the site is enclosed	10
5.	**ANNEXURE-4** The analysis report	11
6.	**ANNEXURE-5** True copy of the letter dated 08.06.2026	12
7.	**Vakalatnama**	13

NEW DELHI
DATED: 16.05.2026

(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsel for U.P. Pollution Control Board
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518
Email: pradeepmisra@yahoo.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 70 OF 2026

Girijesh Kumar Gupta
NOTARY 14/5/26
GORAKHPUR
NOTARIAL NOTARIAL

IN THE MATTER OF:

ASHISH SINGH .....**APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. .....**RESPONDENTS**

REPLY ON BEHALF OF U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

I Ashutosh Chauhan, S/o. Late Shri Ratan Singh Chauhan, aged about 45 years, Regional Officer, Gorakhpur, U.P. do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I in the above noted capacity am well conversant with the facts and records of the present case, hence am competent to swear this affidavit.
2. That the above noted case came up for hearing on 06.02.2026 when this Hon'ble Tribunal on the basis of complaint by Mr. Ashish Singh has constituted a Joint Committee comprises of representative of U.P. Pollution Control Board, District Magistrate, Kushinagar and Divisional Forest Officer, Kushinagar and directed that the report will be submitted to the Hon'ble Tribunal within one month.

NOTARY ★ Girijesh Kumar Gupta Civil Court, Gorakhpur H. O. Gorakhpur Regd. No.-37(43)/2000 GOVT OF UTTAR PRADESH (INDIA)

Girijesh Kumar Gupta
NOTARY 14/5/26
GORAKHPUR

3. That in compliance of the said order joint inspection was conducted by the said Committee on 23.02.2026. The proposed Gau Sanrakshan Kendra is under consideration by Animal Husbandry Department at Plot No. 537, measuring 1 hectare. The Joint Committee has recorded that permission for felling of trees should be given that no restricted trees for illegal felling is done. No tree has been fell at site. The Committee has recommended that in the monsoon 2026 on the remaining land of Gaushala, plantation be done. It was further recommended that on the four sides of the pond the plantation be done in ensuing rainy season. The caretaker of the Gaushala will look after the newly planted plants. A copy of inspection report dated 25.02.2026 is being enclosed herewith and marked as Annexure-1.
4. That thereafter the above case again came up for hearing on 08.04.2026 when this Hon'ble Tribunal has issued notice to Respondents including the U.P. Pollution Control Board and directed them to submit the response.
5. That again the inspection of the site was done on 08.05.2026. The photographs of site taken during the inspection are enclosed as Annexure-2.

   Location of the site is enclosed as Annexure-3.

NOTARY ★ GOVT OF UTTAR PRADESH (INDIA) ★ Girijesh Kumar Gupta Civil Court, Gorakhpur H. O. Gorakhpur Regd. No.-37(43)/2000

Girijesh Kumar Gupta 14/5/26
NOTARY
GORAKHPUR

6. That during inspection it has been found that in east direction of the under-construction Gaushala, there is agricultural land and in the west direction, there is Dhoop Sagar Pokhra. In the north direction, there is green area and a temple and in the south direction there is a road and then a school.
7. That during inspection sample from the water of the pond/pokhra was collected and analyzed in the laboratory of Regional Office, Gorakhpur. The analysis report is being enclosed herewith and marked as Annexure-4.
8. That from the analysis report it is clear that the water quality of the pokhra is of Class-D i.e. suitable for propagation of wildlife and fisheries.
9. That the Regional Office has sent a letter dated 08.05.2026 to Chief Veterinary Officer, Kushinagar to comply with the guidelines for management of dairy farm and Gaushala framed by CPCB. True copy of the letter dated 08.06.2026 is being enclosed herewith and marked as Annexure-5.

The above facts are being placed for kind consideration of this Hon'ble Tribunal.

NOTARY
Girijesh Kumar Gupta
Civil Court, Gorakhpur
H. O. Gorakhpur
Regd. No.-37(43)/2000
GOVT OF UTTAR PRADESH (INDIA)

DEPONENT

Girijesh Kumar Gupta 14/5/26
NOTARY
GORAKHPUR

VERIFICATION:

I, the abovenamed deponent do hereby verify that the contents of above affidavit are true to my knowledge derived from official record. No part of the same is false and nothing has been concealed therefrom.

VERIFIED ON THIS THE 14th DAY OF MAY, 2026 AT GORAKHPUR.

DEPONENT

Identified the Index of Ashutosh chauhan He Signed before me Self Attested

14/5/26

R.N. UP2989/88

NOTARY ★ Girijesh Kumar Gupta Civil Court, Gorakhpur H. O. Gorakhpur Regd. No -37(43)/2000 GOVT OF UTTAR PRADESH (INDIA) ★

No. 856/26

Solemnly affirmed before me on 14-5-26 at 3 by Ashutosh chauhan ... who is identified by Shri ... Gupta Adv. ... I have satisfied my self by examining the deponent that he/she understands the contents of this affidavit which has been read over and explained by me.

Girijesh Kumar Gupta 14/5/26

NOTARY

GORAKHPUR

–:जॉच आख्या:–

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा निस्तारित ओ0ए0 संख्या 70/2026 आशीष सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य प्रकरण का आदेश दिनांक 06.02.2026 के अनुपालन हेतु आपके द्वारा गठित समिति की आख्या

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय के पत्र संख्या 1888/16एफ–1 दिनांक 17.02.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके सम्बन्ध में ओ0ए0 संख्या 70/2026 आशीष सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य प्रकरण का आदेश दिनांक 06.02.2026 के बिन्दु संख्या 08 जो निम्नवत् है :–

"Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Uttar Pradesh State Pollution Control Board (UPPCB), District Magistrate, Kushinagar and Divisional Forest Officer, Kushinagar and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action by following due course of law and to submit its report within one month to this Tribunal and send a copy of the report to the concerned authorities who shall be bound to take appropriate action in accordance with law and Principles of Natural Justice by giving opportunity of being heard to the concerned project proponent and to submit action taken report within next one month."

में दिये गये निर्देश के अनुपालन में जांच समिति गठित कर जांच आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के क्रम में दिनांक 23.02.2026 को चार सदस्यीय टीम क्रमशः (1) श्री मो0 जफर उप जिलाधिकारी न्यायिक, कुशीनगर (2) श्री जितेन्द्र कुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी, कुशीनगर (3) श्री पी0पी0 सिंह, सहायक पर्यावरण अभियंता, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर (4) श्री शुभम कुमार, जे0आर0एफ0, जिला पर्यावरण समिति, कुशीनगर द्वारा मौके की स्थलीय जांच किया गया। श्री आशीष सिंह याचिकाकर्ता तथा प्रस्तावित गौ संरक्षण केन्द्र जोकि पशुपालन विभाग द्वारा निमार्णाधीन है की ओर से श्री डा0 जावेद अहमद, पशु चिकित्साधिकारी, कुबेरस्थान मौके पर उपस्थित रहें। जांच समिति की आख्या निम्नवत् है :–

राजस्व विभाग:– ग्राम पंचायत प्रस्ताव दिनांक 29.01.2024 के क्रम में पत्रांक 724 दिनांक 01.07.2024 जिलाधिकारी, कुशीनगर शासनादेश संख्या–744/एक.01.2016–20(5)/2016 राजस्व अनुभाग–1 दिनांक 03.06.2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये उ0प्र0रा0सं0 2006 की धारा 59 की उप धारा (4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0रा0सं0 नियमावली 2016 के नियम 55 तथा शासकीय अधिसूचना संख्या–740/एक–1–2016–20(05)/2016 दिनांक 03 जून 2016 का संशोधित अधिसूचना संख्या 687/एक–01–2020–20(05)/2016 दिनांक 06.07.2020 द्वारा ग्राम कोहरवलिया के गाटा संख्या 537/1.000 हें0 बंजर/श्रेणी 5–3–ड गौ संरक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि पुर्नग्रहित किया गया है।

पशुपालन विभाग:– निदेशक प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या 1415/सा0–2/XII–619(भाग–3)/2024–25 दिनांक 26.06.2024 द्वारा नवीन गौ संरक्षण केन्द्र के स्थापना हेतु भूमि चिन्हांकन/पुर्नग्रहित किये जाने का निर्देश प्राप्त है, जिसके अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय के आदेश संख्या 724/भूमि सुधार/पु0ग्र0आ0/2024 दिनांक 01.07.2024 द्वारा तहसील पडरौना के ग्राम कोहरवलिया में गाटा संख्या 537/क्षे0 1.000 हे0 भूमि की श्रेणी–बंजर 5–3–ड भूमि गौ संरक्षण केन्द्र के निमार्ण हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के क्रम में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कुशीनगर द्वारा अपने पत्र संख्या 296/स्था0–2/2024–25 दिनांक 01.07.2024 द्वारा निदेशक प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त गौ संरक्षण निमार्ण हेतु निर्माण भूमि का चिन्हाकन/पुर्नग्रहित कर प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। तत् पश्चात निदेशक महोदय पशुपालन विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या 2020/सा0 –2/XII–619 (भाग–3)/2024–25 दिनांक 14.10.2024 द्वारा कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड(यू0पी0सी0एल0डी0एफ0) को नामित करते हुये गौ संरक्षण केन्द्र निर्माण हेतु प्रथम किस्त की धनराशि रु0 80.00 लाख (अस्सी लाख रू0 मात्र) अवमुक्त किया गया है।

ग्राम कोहरवलिया में वृहद गौ संरक्षण केन्द्र निर्माण हेतु चिन्हित भूमि में लगे वृक्ष का मूल्यांकन कराने हेतु मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कुशीनगर के पत्र संख्या 1266/वृ0गो0सं0के0/2024–25 दिनांक 25.01. 2025 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी कुशीनगर को पत्र प्रेषित किया गया। ग्राम प्रधान कोहरवलिया के आवेदन दिनांक 27.02.2025 द्वारा उक्त गौ संरक्षण केन्द्र में लगे हुये वृक्षों का मूल्यांकन के उपरान्त नीलामी किये जाने की अनुमति हेतु उप जिलाधिकारी पडरौना से अनुरोध किया गया था। नीलामी अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कुशीनगर के पत्र संख्या 369/वृ0गो0सं0के0/2025–26 दिनांक

27.06.2025 द्वारा अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 राज्य निर्माण एव श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड(यू0पी0सी0एल0डी0एफ0) प्रखण्ड गोरखपुर को प्रथम किस्त की धनराशि रु0 80.00 लाख (अस्सी लाख रू0 मात्र) हस्तान्तरित करने के उपरान्त निर्धारित अवधि में वृहद गौ संरक्षण केन्द्र की निर्माण कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड ने अपने पत्र संख्या 286 / यू0पी0सी0एल0डी0एफ0 / 2025–26 दिनांक 20.12.2025 द्वारा तहसील–पडरौना के ग्राम कोहरवलिया में प्रथम किस्त की धनराशि रु0 80.00 लाख (अस्सी लाख रू0 मात्र) के सापेक्ष शतप्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। उक्त के कम में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कुशीनगर द्वारा अपने पत्र संख्या 1474 / लेखा / भवन / 2025–26 दिनांक 20.02.2026 द्वारा त्रिस्तरीय कमिटी निर्धारित कर उक्त गौ संरक्षण केन्द्र की गुणवकत्ता की जांच हेतु नामित किया गया है, जो अभी प्रकियाधीन है। कटे वृक्षों से हुये पर्यावरणीय क्षरण को पूरा करने के लिए मियावाकी पद्धति से विभागीय वृक्षारोपण अगामी वर्षाकाल–2026 में कराकर वन स्थापना करायी जायेगी।

वन विभाग :–ग्राम–कोहरवलिया, तप्पा–चौरा बडगांव, तहसील–पडरौना, जिला–कुशीनगर में मौके पर पहुचकर स्थलीय जांच / परीक्षण किया गया। गाटा संख्या–537 के रकबा–1.00 हे0 में वृहद गौ संरक्षण केन्द्र (गौशाला) की स्थापना हेतु भूमि चिन्हित की गयी, जिसके क्रम में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, कुशीनगर ने अपने पत्रांक–1266 / वृ0ग0सं0के0 / 2024–25 दिनांक 25.01.2025 के माध्यम से वृहद गौ संरक्षण केन्द्र हेतु चिन्हित भूमि पर खडे वृक्षों के मूल्यांकन किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में ग्राम प्रधान कोहरवलिया द्वारा भी दिनांक 06.02.2025 को मूल्यांकन हेतु आवेदन किया गया। आवेदन पत्र की जांच हेतु **इस कार्यालय के पत्र संख्या–1813 / 37–1 दिनांक 06.02.2025** से क्षेत्रीय वन अधिकारी पडरौना को जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी पडरौना द्वारा वृक्षों का मूल्यांकन जांच रिपोर्ट पत्र संख्या–मेमो / 37–1 दिनांक 21.02.2025 द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिसमें कुल 135 वृक्ष (सिरस, कुकाठ, ताड़, गुलर, आम, बडहर, महुआ, अशोक, बेर, जामुन, पीपल, सेमल, बेल आदि) के वृक्ष बाधक पाये गये है, जिनका नियमानुसार मूल्यांकन कर धनराशि मु0 205100.00 रूपये दो लाख पांच हजार एक सौ मात्र विभागीय अनुसूचित दर के अनुसार आगणन पत्र सम्बन्धित को प्रेषित किया गया है।

उक्त आगणन रिपोर्ट के आधार पर प्रभागीय वनाधिकारी महोदय, कुशीनगर द्वारा पत्रांक–1957 / 37–1 दिनांक 24.02.2025 से श्री सुरेन्द्र गुप्ता (ग्राम प्रधान) ग्राम–कोहरवलिया, पोस्ट–कुबेरस्थान, थाना–कुबेरस्थान, जिला–कुशीनगर को **135 वृक्षों** को नीलामी कराने हेतु मूल्यांकन रिपोर्ट प्रेषित किया गया एवं यह भी अवगत कराया गया कि नीलामी के उपरान्त ही वृक्षों को काटने हेतु इस कार्यालय को निर्धारित प्रपत्र में वांछित अभिलेख पूर्ण कर आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करें, ताकि पातन अनुज्ञा पत्र जारी किया जा सके।

उक्त वृक्षों की नीलामी श्री इन्द्रजीत शर्मा पुत्र श्री बालकुवंर शर्मा, ग्राम–कोहरवलिया, पोस्ट–कुबेरस्थान, थाना–कुबेरस्थान, जिला–कुशीनगर के द्वारा ली गयी। क्रेता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पातन अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु आवेदन किया गया, जिसके क्रम में पर्यावरणीय क्षति को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम बार–केवल 50 वृक्षों के पातन हेतु पातन अनुज्ञा पत्र प्रभागीय वनाधिकारी, कुशीनगर के पत्र संख्या–438 / 37–1 दिनांक 27.08.2025 से जारी किया गया आवेदक श्री इन्द्रजीत शर्मा को पुनः पत्र संख्या–1784 / 37–1 दिनांक 04. 02.2026 द्वारा 50 वृक्षों का पातन अनुज्ञा जारी किया गया है। उक्त आदेश के क्रम में क्रेता द्वारा 100 वृक्षों का पातन कर लिया गया है, शेष 35 वृक्षों का पातन हेतु क्रेता द्वारा पातन अनुज्ञा शुल्क जमा नहीं किया गया है। जिसके कारण 35 वृक्षों का अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया गया है। यहॉ पर यह उल्लेख करना समाचीन होगा कि, उक्त 135 बाधित वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगे थे, विकास कार्यो की बाध्यता के दृष्टिगत पातन अनुज्ञा जारी की गयी।

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गोरखपुर :–ग्राम–कोहरवलिया, तप्पा–चौरा बडगांव, तहसील–पडरौना, जिला–कुशीनगर में जांच किया गया। गाटा संख्या–537 के रकबा–1.00 हे0 में निर्माणाधीन वृहद गौ संरक्षण केन्द्र (गौशाला) के निर्माण होने के उपरान्त संरक्षित गौ वंशों का अपशिष्ट मल और अपशिष्ट जल निकटस्थ भूपसागर पोखर में प्रवाहित नहीं किया जाय। निर्माणाधीन गौ संरक्षण केन्द्र हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है, इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाय कि गौ संरक्षण केन्द्र से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयन्त्र की स्थापना भी आवश्यक है।

निष्कर्ष :–

मौके पर स्थलीय सत्यापन के दौरान याचिकाकर्ता श्री आशीष सिंह, निवासी–प्रानछपरा (बडगांव) मौजूद रहे। उनके अनुसार प्रस्तावित स्थल पर सैकडों वर्ष पुराने वृक्ष थे, जो कि सुक्ष्म प्राकृतिक वन

(इकोसिस्टम) मौजूद था, जिसे उक्त परियोजना के कारण नष्ट कर दिया गया है। वन विभाग द्वारा जारी पातन अनुज्ञा मे इस तथ्य का ध्यान रखा गया है कि किसी भी प्रकार के प्रतिबन्धित वृक्षों का अवैध पातन न हो तथा मौके पर इस प्रकार के किसी वृक्ष को नहीं गिराया गया है, जिससे सुक्ष्म प्राकृतिक वन नष्ट होना दृष्टिगत हो। प्रस्तावित स्थल के बगल में भूपसागर पोखर स्थित है तथा पोखर के चारों तरफ भीटा (ऊंची मिट्टी) स्थापित है। अतः जलाशय को किसी प्रकार का कोई नुकसान मौके पर नहीं दिखा है।

पशुपालन विभाग द्वारा प्रस्तावित गौशाला में गौ अवशेष से खाद गड्ढे का निर्माण किया जायेगा एवं ओपेन ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था प्रस्तावित है। पशुपालन विभाग द्वारा वर्षाकाल–2026 में आवंटित पौधरोपण लक्ष्य के सापेक्ष गौशाला स्थल पर निर्माण के अतिरिक्त बची हुई भूमि पर बाड़ लगाकर पौधरोपण कार्य कराना उचित होगा।

अतः समिति द्वारा उक्त स्थान पर हुये वृक्षों के पातन से पर्यावरणीय क्षरण के प्रतिपूर्ति हेतु निम्न सुझाव प्रस्तावित किया जाता हैः–

(i) गौशाला पर निर्माण के अतिरिक्त भू–भाग पर पशुपालन विभाग द्वारा मियावाकी पद्धति से वृहद वृक्षारोपण कराया जाय, जिससे पोखर के चारों तरफ पारिस्थितिकी एव पर्यावरणीय क्षरण को पूर्ति किया जा सके।

(ii) जलाशय/पोखरा के चारों ओर खाली स्थान पर आगामी वर्षाकाल–2026 में वृक्षारोपण किया जाना उचित होगा।

(iii) गौशाला केयरटेकर द्वारा उक्त नवरोपित पौधों की देख–भाल/रखरखाव की जाये, यह पशुपालन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

अतः जांच आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

(शुभम कुमार) जे0आर0एफ0 जि0पर्या0स0, कुशीनगर	25.02.2026 (पी0 पी0 सिंह) सहायक पर्यावरण अभियंता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर	25/2/26 (ए0 के0 सिंह) मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, कुशीनगर	(जितेन्द्र कुमार) उप प्रभागीय वनाधिकारी, कुशीनगर	25.02.26 (मो0 जफर) उप जिलाधिकारी, न्यायिक, कुशीनगर

Latitude: 26.802984
Longitude: 84.048875
Elevation: 101.36±13.8 m
Accuracy: 95.33 m
Time: 08-05-2026 14:25
Note: Constructed Gauw Shala Kubersthan, Kushinagar
Powered by NoteCam

Latitude: 26.802698
Longitude: 84.051228
Elevation: 84.23±4.13 m
Accuracy: 55.34 m
Time: 08-05-2026 14:18
Note: Constructed Gauw Shala Kubersthan, Kushinagar
Powered by NoteCam

Latitude: 26.802464
Longitude: 84.050868
Elevation: 83.07±2.5 m
Accuracy: 3.61 m
Time: 08-05-2026 14:15
Note: Constructed Gauw Shala Kubersthan, Kushinagar
Powered by NoteCam

Latitude: 26.802445
Longitude: 84.050684
Elevation: 101.36±7.97 m
Accuracy: 3.133 m
Time: 08-05-2026 14:21
Note: Constructed Gauw Shala Kubersthan, Kushinagar
Powered by NoteCam

Latitude: 26.802714
Longitude: 84.051227
Elevation: 86.53±2.5 m
Accuracy: 3.79 m
Time: 08-05-2026 14:17
Note: Constructed Gauw Shala Kubersthan, Kushinagar
Powered by NoteCam

Latitude: 26.802458
Longitude: 84.050692
Elevation: 101.36±7.89 m
Accuracy: 10.28 m
Time: 08-05-2026 14:21
Note: Constructed Gauw Shala Kubersthan, Kushinagar
Powered by NoteCam

ANNEXURE-03

care india
अजय आइएमसी
हर्बल केयर इंडिया
Ajay Library
अजय लाइब्रेरी
Baroda U.P. Bank
बड़ौदा यू.पी. बैंक
Dhupsagar Pond And
Jalpa Mata Temple
धूपसागर पोखरा और
माँ जलपा का मंदिर
संजीत पांडे
Dhupsagar jalpa
mata mandir
धूपसागर जलपा
माता मंदिर
Hospital,
rasthan
gaushala
Google Maps

Regional Office
U. P. Pollution Control Board
Kunraghat, Gorakhpur

ANNEXURE-04

Water Quality of Surface Water from Pond Situated at Village-Koharvaliya, Tehsil- Padrauna, Distt-Kushinagar

S. No	Date of Sample Collection	PARAMETERS							
		PH	Conductance (µmhoscm.$^{-1}$)	D. O.	B. O. D. (3day at 27° C)	C.O.D	Hardness	T.D.S.	Ca (as $CaCO_3$)
1	08.05.2026	7.65	258	7.2	2.8	12	212	162	116

Note :- All the parameters except p^H are expressed in mg/l unless or otherwise stated.

JEA /SEA

13/05/2026
S.A.

Regional Officer

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, GORAKHPUR

पत्रांक: 198/क्षे0का0-246/2026 दिनांक: 08-5-26

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
जनपद– कुशीनगर।

विषयः गौशाला के निर्माण हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गौशालाओं एवं डेयरी फार्म के पर्यावरणीय प्रबन्धन हेतु प्राख्यापित गाइडलाईन के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जुलाई 2020 में Guidelines for Environmental Management of Dairy Farm and Gaushala निर्गत की गयी है। उक्त गाइडलाईन की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि जनपद– कुशीनगर के ग्राम– कोहरवलिया, तप्पा– चौड़ा बड़गांव, तहसील– पड़रौना में गौशाला का निर्माण गाइडलाईन में दी गयी 4. Siting Policy के अनुरूप ही किया जाये। इसके साथ ही गौशाला निर्माण के साथ 3. Guidelines for Waste Management in Dairy Farm and Gaushala का अनुपालन भी सुनिश्चित रखा जाये।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आशुतोष चौहान)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ।

1. जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

~~Appeal~~ /OA ~~NO.~~ **70 OF 2026**

In re:

ASHISH SINGH

Plaintiff /Appellants/ Petitioner/Complainant

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

Defendant/Respondent/ Accused

KNOW ALL to whom these present shall come that I/We Anuj Kumar Chaubey the above named Law officer do hereby appoint (herein after called the advocate/s) to be my/our Advocate in the above noted case & authorize :-

Mr.Pradeep Misra, Mr. Daleep Dhyani, Advocates,
138, New Lawyers Chamber, Supreme Court of India,
New Delhi, Ph. :011-23070011, Mob. 9810252518, 9811070721

To act, appear and plead in the above-noted case in this Court or in any other Court in which the same may be tried or heard and also in the appellate Court including High Court subject to payment of fees separately for each Court by me/ us.

To sign, file verify and present pleadings, appeals cross objections or petitions for execution review, revision, withdrawal, compromise or other petitions or affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages.

To file and take back documents to admit and/or deny the documents of opposite party.

To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case.

To take execution proceedings.

To deposit, draw and receive money, cheques, cash and grant receipts thereof and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution of the said case.

To appoint and instruct any other Legal Practitioner, authorizing him to exercise the power and authority hereby conferred upon the Advocate whenever he may think it to do so and to sign the Power of Attorney on my/our behalf.

AND I/We the undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all intents and purposes.

AND I/We undertake that I / we or my /our duly authorized agent would appear in the Court on all hearings and will inform the Advocates for appearance when the case is called.

AND I /we undersigned do hereby agree not to hold the advocate or his substitute responsible for the result of the said case. The adjournment costs whenever ordered by the Court shall be of the Advocate which he shall receive and retain himself.

AND I /we the undersigned do hereby agree that in the event of the whole or part of the fee agreed by me/us to be paid to the Advocate remaining unpaid he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. The fee settled is only for the above case and above Court. I/We hereby agree that once the fee is paid. I/we will not be entitled for the refund of the same in any case whatsoever. If the case lasts for more than three years, the advocate shall be entitled for additional fee equivalent to half of the agreed fee for every addition three years or part thereof.

IN WITNESS WHEREOF I/We do hereunto set my /our hand to these presents the contents of which have been understood by me/us on this **14** day of **05. 2026**.

Ac[cepted su]bject to the terms of fees.

(PRADEEP MISRA)(DALEEP DHYANI)
Advocate Advocate (D/435/01)

Client
Anuj Kumar Chaubey
Law Officer-I
U.P. Pollution Control Board
Lucknow

ADVOCATES' WELFARE FUND STAMP ₹25
BAR COUNCIL OF DELHI
2607299
पच्चीस रुपये TWENTYFIVE RUPEES